

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 01/2018-19 (बुस्टर पम्पींग स्टेशन) 1439 / भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 28/11/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- भगवानपुर, थाना नं0- 282, अंचल- ठाकुरगंगटी, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना के लिए बुस्टर पम्पींग स्टेशन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई श्री बैधनाथ फाउण्डेशन, देवघर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- भगवानपुर, थाना नं0- 282, अंचल- ठाकुरगंगटी, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.250 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिरसे की भूमि का रकबा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	77	निजी	धानी दोएम	1.720	0.0194	मो0 बाला, पिता- स्व0 गोपाल मंडल	69	78	89	76
2		59	निजी	धानी दोएम	0.490	0.0192	अवधबिहारी मंडल, पिता- स्व0 आनंद मंडल	70, 68	77	99	76
3						0.0192	मो0 कमला, पिता- स्व0 देवेन्द्र मंडल				
4						0.0192	मृत्युंनजय मंडल, पिता- स्व0 आनंद मंडल				
5						0.0192	राजकुमार मंडल, पिता- स्व0 नंदुलाल मंडल				
6						0.0315	सबिता मंडल, पिता- स्व0 अनिल मंडल				
7						0.0314	जयकांत मंडल, पिता- स्व0 दिनदयाल मंडल				
8						0.0315	मो0 बिन्दु, पिता- स्व0 तरुण मंडल				
9						0.0459	सत्यनारायण मंडल, पिता- स्व0 बिनोद मंडल				
10						0.0459	हराधन मंडल, पिता- स्व0 बिनोद मंडल				

11						0.0688	मोहनलाल मंडल, पिता- स्व0 रघुनाथ मंडल				
12						0.0688	मो0 अलका, पिता-स्व0 नित्यानंद मंडल				
13						0.0353	अशोक मंडल, पिता- स्व0 सुबल मंडल				
14						0.0353	मो0 मीना देवी, पिता- स्व0 कृष्ण मंडल				
15						0.0688	मो0 चिंता, पिता- स्व0 सुभाष मंडल				
16						0.0917	नुनीबाला देवी, पिता- स्व0 भुवनेश्वर मंडल				
17						0.0917	मो0 रंभा, पिता- स्व0 भुवनेश्वर मंडल				
18						0.0917	मनोज मंडल, माता स्व0 बिंदू देवी, पिता स्व0 नारायण मंडल				
19						0.2751	सुनील मंडल, पिता- स्व0 भूदेव मंडल				
20						0.1834	जयदेव मंडल, पिता- स्व0 उमाकांत मंडल				
21						0.1834	सुखदेव मंडल, पिता- स्व0 उमाकांत मंडल				
22						0.3668	पतितपावन मंडल, पिता- स्व0 रामेश्वर मंडल				
23						0.3668	धीरेनचंद्र मंडल, पिता-स्व0 रामेश्वर मंडल				
24	9	38	निजी	धानी दोएम	0.040	0.040	स्व0 देवीया हेम्रम, पिता- स्व0 गोजुन हेम्रम के बारिसानो से मुलाकात नहीं हुई है।	37	45	46	39
कुल :-					2.250	2.250	एकड़				

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1439/भू0अ0 दिनांक :- 28/11/18 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1439/भू0अ0 दिनांक :- 28/11/18 ।


प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1439 / भूअ0 दिनांक 28/11/18

- प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उपायुक्त,
गोड्डा।